

सेवा में,
श्री रोहित नन्दन आई०ए०एस०
प्रमुख सचिव,
खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

द्वारा :- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश।

विषय :- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की समीक्षा एवं स्थापना की सम्भावनाएँ तलाशने हेतु बैठक विषयक।

महोदय,

आई०आई०ए० वर्ष 2003 से उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्थान हेतु कार्य कर रहा है। इस प्रयास में आई०आई०ए० प्रदेश सरकार को सहयोग देता रहा है और लेता भी रहा है। कुछ अच्छे प्रयास जो प्रारम्भ किये गये थे एवं उनका संक्षिप्त विवरण, वर्तमान स्थिति एवं प्रस्ताव निम्न प्रकार से आपको प्रेषित कर रहे हैं :-

क्रम सं०	दिनांक	गतिविधि	संक्षिप्त विवरण एवं वर्तमान स्थिति एवं प्रस्ताव
1	जनवरी 2003	आई०आई०ए० द्वारा प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया गया।	विगत 5 वर्षों से यह कार्यदल सक्रीय रूप से कार्य कर रहा है। उद्यान खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर इस कार्यदल ने अनेक कार्य किये हैं जिनका विवरण निम्नलिखित गतिविधियों में है। <u>यह कार्यदल आपको आपके प्रयासों में पूर्ण सहयोग करता रहेगा।</u>
2	3 मई 2003	कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर सलाहकार समिति का गठन जिसमें आई०आई०ए० के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वर्किंग कमेटी के तीन सदस्य नामित हैं और अधिशासी निदेशक आई०आई०ए० को इस समिति का संयोजक बनाया गया है।	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 3 मई 03 को इस सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अर्द्ध .602शा० पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक (क) पर सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है। लगभग 6 महीनों तक इस सलाहकार समिति की बैठकें होती रही। तदोपरान्त प्रदेश सरकार में प्रशासनिक फेरबदल के कारण इस समिति के कार्यकलाप सुचारू रूप से नहीं चल पाये हैं। <u>यह एक अच्छा प्रयास था जो जारी रखने से सरकार, औद्योगिक संगठनों एवं विशेषज्ञों के बीच संवाद बना रहेगा जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आप इस समिति को सक्रीय करना चाहे।</u>

3	23 सितम्बर 2003	उ०प्र० के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त तथा सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ०प्र० के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक अलग नीति बनाने का निर्णय लिया गया।	बैठक में निर्णय लिया गया कि आई०आई०ए० के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यदल के सहयोग से प्रदेश में "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति" बनाई जाए जिसका प्रारूप आई०आई०ए० द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाये। आई०आई०ए० द्वारा एक माह के भीतर ही उ०प्र० में पहली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का प्रारूप 15 अक्टूबर 2003 को सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को सौंप दिया। प्रतिलिपि संलग्नक (ख) पर सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है। अन्ततः प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति घोषित की जा चुकी है। <u>इस नीति में निरन्तर सुधार एवं इसके प्राविधानों को लागू करने की आवश्यकता है क्रम०स० 2 पर वर्णित सलाहकार समिति यदि पुर्नजीवित की जाती है तो यह कार्य सुचारू रूप से हो पाएगा।</u>
4	अक्टूबर 2003	आई०आई०ए० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यदल द्वारा प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के साथ मिलकर प्रदेश की राजधानी में प्रतिवर्ष "इण्डिया फूड एक्सपो" का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।	फरवरी 2004 में प्रदेश में पहला "इण्डिया फूड एक्सपो" सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एपीडा एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का भी सक्रीय योगदान प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष इण्डिया फूड एक्सपो का आयोजन आई०आई०ए० द्वारा किया जाता रहा है और इसका पाँचवा संस्करण फरवरी 2008 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके आयोजन में आपका भी सहयोग एवं प्रोत्साहन रहा है। <u>विगत कुछ वर्षों से इस आयोजन के लिये प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार से आशातीत सहयोग आई०आई०ए० को प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि प्रदेश और केन्द्र सरकार का इसमें पूर्ण सहयोग मिले तो इस गतिविधि से प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अवश्य बढ़ावा मिलेगा।</u>
6	21 अक्टूबर 2003	आई०आई०ए० द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रदेश में बढ़ावा देने हेतु 12 मण्डलों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम की योजना बनाई गई।	उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार के खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया। प्रस्ताव पर आई०आई०ए० को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ अतः यह गतिविधि लागू नहीं की जा सकी। <u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक व्यवहारिक उद्यमिता विकास योजना की आवश्यकता है। आई०आई०ए० इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर सकता है जिसके लिये आई०आई०ए० के पास पर्याप्त अनुभव विद्यमान है।</u>

7	नवम्बर 2003	आई0आई0ए0 द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों के लिये “Project Appraisal & Entrepreneur Assessment- Focus Food Processing Industry” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।	यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया एवं प्रतिभागियों ने इस बहुत उपयोगी पाया। इस कार्यक्रम को आई0आई0ए0 द्वारा कराने का मुख्य उद्देश्य यह था कि विभाग के अधिकारियों को उद्योगों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं का सीधा अनुभव हो सके और प्रोजेक्ट अपरेजल इत्यादि व्यवहारिक रूप से हो सके।
8	1 जून 06	प्रस्तावित आलू नीति पर कान्सेप्ट पेपर	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित आलू नीति पर एक कान्सेप्ट पेपर तैयार किया गया जिसे आई0आई0ए0 को आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया था। आई0आई0ए0 द्वारा इस पर अपना अभिमत 7 अगस्त 2006 को प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दिया गया था।
9	6 जुलाई 06	खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 सरकार के लिए नीति निर्धारण प्रकोष्ठ का गठन	प्रमुख सचिव खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 भासन की अध्यक्षता में इस 15 सदस्यीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसमें आई0आई0ए0 भी सदस्य है। इस प्रकोष्ठ ने कुछ समय तो कार्य किया परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार अब इसकी गतिविधियाँ नहीं हो रही है।
10	28 जुलाई 2006	दो दिवसीय राज्य स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर सेमीनार का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 द्वारा आई0आई0ए0 एवं अन्य औद्योगिक संगठनों के सहयोग से किया गया। यह सेमीनार होटल ताज लखनऊ में आयोजित किया गया था।	इस सेमीनार में आई0आई0ए0 के विभिन्न जिलों से आये 60 उद्योगियों ने भाग लिया तथा आई0आई0ए0 केंद्रीय कार्यालय द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। इस सेमीनार में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये तथा इन फैसलों को लागू करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया जिसमें आई0आई0ए0 भी सदस्य है सेमीनार में लिए गये निर्णयों को पूर्ण रूप से लागू करने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो सेमीनार में लिया गया था वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को खाद्य अपशिष्ट अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि से सम्बन्धित है। निर्णय लिया गया था कि अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 सरकार यह लाइसेन्स वर्तमान में एक वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी करेगी। यह निर्णय अभी तक लागू नहीं हुआ है। मामला राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु में भी रखा गया है। यदि इस प्रकार से लिये गये निर्णय लागू नहीं होते हैं तो उद्योगियों का मनोबल टूटता है और इस प्रकार के सेमीनार में भी सक्रियता कम होती है। अतः निवेदन है कि इस सेमीनार की प्रोसीडिंग को देखते हुए कुछ एक्शन प्लान तैयार किए जाए।
11	दिसम्बर	आलू आधारित उद्योगों की	इस सेमीनार पर विस्तृत चर्चा 27 दिसम्बर 06 को

	2006	स्थापना पर सेमीनार	प्रमुख सचिव खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ०प्र० सरकार के साथ हुई जिसमें आई०आई०ए० द्वारा विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिसकी प्रतिलिपि संलग्नक (ग) पर प्रेषित है।
12	20 अप्रैल 08	कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्थान हेतु बैठक	आई०आई०ए० द्वारा इस बैठक में सक्रियता से भाग लिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने आई०आई०ए० से अपेक्षा की कि उन्हें 4-5 ठोस एवं व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें। तदनुसार आई०आई०ए० द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक (घ) पर प्रेषित है। इन प्रस्तावों पर आई०आई०ए० को कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जनवरी 2007 के बाद आई०आई०ए० एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के मध्य रोजमर्रा के कामों के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं हुई है। हालाँकि फरवरी 08 में आयोजित “इण्डिया फूड एक्सपो” के लिए तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव खाद्य प्रसंस्करण महोदय से तैयारियों/सहयोग पर मिलने के प्रयास किए गये थे परन्तु किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ।

उपरोक्त रिपोर्ट आपको इस आशय से प्रेषित कर रहे हैं कि आप प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उपरोक्त गतिविधियों को जारी रखने के लिये आई०आई०ए० प्रतिनिधि मण्डल के साथ एक भेट वार्ता करना चाहे।

भेट-वार्ता हेतु समय एवं दिन निर्धारित कर सूचित करने की कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय

डी०एस० वर्मा
अधिसासी निदेशक

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार